

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल रजौली।

पत्रांक:.....२०५ (३१३०)

रजौली, दिनांक.....१५/०२/२५

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, रजौली।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव/नोडल पदाधिकारी, नाबार्ड,
ग्रामीण कार्य विभाग,
विश्वेश्वरैया भवन, पटना।

विषय: NABARD Maintenance योजनान्तर्गत आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत NABARD Maintenance योजनान्तर्गत अधियाचना से संबंधित
अद्यतन सूचना विहित प्रपत्र में भरकर आवंटन उपलब्ध कराने हेतु समर्पित की जाती है।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन

15.02.25

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमण्डल, रजौली।

15/02/25

15/2

Rural Works Department

Forate for Requisition of Five Year Maintenance under NABARD

Name of Division :- R.W.D. Works Division, Rajauli

Sl. No.	Name of Roads/Bridge	Name of Contractor	Actual Date of Completion (Construction)	Administrative Sanction (in Rs. Lakh)		Agreement Amount (in Rs. Lakh)		Main Work Final Bill Amount in Lakh with Date	Month.....Year 1st Year & III Year Five Year Maintenance					Remarks	
				Length	Amount	Main Work	Maintenance Work		Total Demand						
									1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year	5th Year		Amount (in Lac)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kadiganj Kawaol PWD Road To Village Jala	Abhay Kumar	02.09.2019	2.500	114.39000	92.92239	8.6522	92.27185/ 02.09.2019	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.36296	2.36296	
TOTAL:-														2.36296	

अधिकांश के साथ माप्युस्त एव प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति अवश्यक सलन की जाय।

15.02.25
Executive Engineer,
Rural Works Department,
Works Division, Rajauli
13/02/25
48
15/2/25

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-मु0 अ0-4 (मु0)- नाबार्ड-03-293/2017 2400

/पटना, दिनांक-02/7/18

प्रेषक,

संजय कुमार, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के गया जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, रजौली के अधीन रोह प्रखंड के कादिरगंज कौआकोल पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से ग्राम जैला तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 2.50 कि0मी0 निर्माण हेतु रु0 104.77 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु0 9.62 लाख अर्थात् कुल 114.39 लाख रुपये (एक करोड़ चौदह लाख उन्चालीस हजार रुपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य गया जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, रजौली के अधीन रोह प्रखंड के कादिरगंज कौआकोल पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से ग्राम जैला तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 2.50 कि0मी0 निर्माण हेतु रु0 104.77 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु0 9.62 लाख अर्थात् कुल 114.39 लाख रुपये (एक करोड़ चौदह लाख उन्चालीस हजार रुपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली द्वारा इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 459.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से कमरा अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, गया एवं मुख्य अभियंता-1, के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाये।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।

8. इस योजना की चयन मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा साधक संख्या- मु0 अ0-4 (मु0)-नाबार्ड-03-293/2017 के पृ0सं0-06/टि0 पर दिनांक 09.02.2018 को किया गया है।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संधिका सं0- मु0 अ0-4 (मु0) नाबार्ड-03-293/2017 के पृ0 सं0-10/टि0 पर दिनांक-16.06.2018 को प्राप्त है।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्राधान्यों के आलोक में बजट प्राधान्य के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45/94-301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (0)-11-2005-5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 24.03.15 के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं0 90 दिनांक 03.01.2008 में निहित निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्राधान्यों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संधिका सं0- मु0 अ0-4 (मु0) नाबार्ड-03-293/2017 के पृष्ठ संख्या-14/टि0 पर दिनांक-27.06.18 को प्राप्त है।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।
13. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, रजौली से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
15. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विरवरुपमान

(संजय कुमार)

अपर सचिव

ज्ञापांक- मु0 अ0-4 (मु0)-नाबार्ड-03-293/2017 2400

/पटना, दिनांक-02/7/18

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक मु0 अ0-4 (मु0)-नाबार्ड-03-293/2017 2400

/पटना, दिनांक-02/7/18

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध/जिला पदाधिकारी, गया/उप विकास आयुक्त, गया/अभियंता प्रमुख सह-सचिव, BRRDA, ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता-1, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु0 अ0-4 (मुख्यालय), ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, रजौली/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉन्चवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव